प्रेस नोट दिनांक 17.01.2023 थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर

थाना डुमरियागंज पुलिस द्वारा दो गुमशुदा (बालक) को अथक प्रयास से बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर से लापता (गुमशुदा) 01. मो0 तौफिक पुत्र अबरार हसन सा0 तिनहरी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर उम्र 13 वर्ष 02. मो0 नासिर पुत्र मो0 खालिद हुसैन सा0 तिनहरी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर उम्र 12 वर्ष को थाना डुमरियागंज पुलिस द्वारा गुमशुदा उपरोक्त को आज दिनांक 17.01.2023 को अथक प्रयास से बरामद कर विधिक कार्यवाही के उपरान्त उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

गुमशुदा बालको का विवरण

01. मो0 तौफिक पुत्र अबरार हसन सा0 तिनहरी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर उम्र 13 वर्ष।
02. मो0 नासिर पुत्र मो0 खालिद हुसैन सा0 तिनहरी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर उम्र 12 वर्ष।

बरामद करने वाले पुलिस टीम का विवरण

01. प्रभारी निरीक्षक देवनन्दन उपाध्याय थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।
02. निरीक्षक वकील पाण्डेय थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।
03. हे0का0 सतीश कुमार सिंह थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।
04. हे0का0 गणेश दत्त मिश्र थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।

<u>प्रेस नोट दिनांक 22-12-2022 जनपद सिद्धार्थनगर।</u>

श्री अखिल कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर महोदय की अध्यक्षता में श्री राम कृष्ण भारद्वाज, पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती, श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री राजीव राणा डी0आई0जी0 एस0एस0बी गोरखपुर की उपस्थिति में आज दिनांक 22-12-2022 को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु में आपरेशन कवच के अन्तर्गत भारत-नेपाल बॉर्डर के ग्रामों में गठित "ग्राम सुरक्षा समिति" के अध्यक्ष/सचिव/सदस्यों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई।

श्री अखिल कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर महोदय की अध्यक्षता में श्री राम कृष्ण भारद्वाज, पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती, श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की उपस्थिति में आज दिनांक 22-12-2022 को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु में शासन की मंशा के अनुरूप "आपरेशन कवच" के तहत भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से 10 किलोमीटर के अन्दर आने वाले ग्रामीणों को सीमा सुरक्षा से जोड़ने हेतु कुल 437 ग्रामों में गठित "ग्राम सुरक्षा समिति के अध्यक्ष/सचिव / सदस्यों के साथ गोष्ठी का आयोजन कर उनके कर्तव्य व दायित्वों का बोध कराकर जागरूक कराया गया । आयोजन के दौरान महोदय द्वारा मानव तस्करी, नशीली दवाओं/अवैध शराब, अवैध तरीके से वस्तुओं/सामानो के आयात-निर्यात आदि अन्य अपराधों के संबंध में सूचनाओं से अवगत कराने हेतु बताया गया । अगर कोई अपरिचित व्यक्ति जो काफी समय से गांव में रह रहा हो और उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगे व ऐसे व्यक्ति जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो तो उसके बारे में तत्काल हल्का प्रभारी व बीपीओ को तथा साथ ही थाना प्रभारी को अविलंब अवगत कराने हेतु बताया गया साथ ही उनसे गांव के अन्य लोगों को भी जागरुक करने हेतु प्रेरित किया गया।

इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा भारत-नेपाल सीमा के अलीगढ़वा बार्डर का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा एवं आपसी समन्वय संबंधी सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

इस कार्यक्रम के दौरान श्री आर0के0 डोगरा, कमान्डेन्ट 43वी बटालियन एस0एस0बी0, सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर व नेपाल सीमा से सटे सभी थानों के थाना प्रभारी, 43वी बटालियन एस0एस0बी0 के अधिकारी कर्मचारीगण व पुलिस बल के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण व अन्य मौजूद रहें।

प्रेस नोट दिनांक 17.01.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में "आपरेशन कवच" के अन्तर्गत थाना कपिलवस्तु पर ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया साथ ही अलीगढ़वा बार्डर का भी औचक निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

आज दिनांक 17-01-2023 को अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व आर के डोगरा, कमान्डेट 43वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत-नेपाल सीमा के अलीगढ़वा बार्डर का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा एवं आपसी समन्वय संबंधी सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया व भारत नेपाल सीमा के अलीगढ़वा बार्डर पर पैदल गश्त किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में, कमान्डेन्ट सीमा सुरक्षा बल 43वीं वाहिनी की उपस्थिति में भारत-नेपाल सीमा से लगे जनपद सिद्धार्थनगर के थाना कपिलवस्तु पर "**ऑपरेशन कवच**" के सम्बन्ध में ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ गोष्ठी की गयी। आयोजन के दौरान महोदय द्वारा मानव तस्करी, नशीली दवाओं/अवैध शराब, अवैध तरीके से वस्तुओं/सामानो के आयात-निर्यात आदि अपराधों के संबंध में सूचनाओं से अवगत कराने हेतु बताया गया। अगर कोई अपरिचित व्यक्ति जो काफी समय से गांव में रह रहा हो और उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगे व ऐसे व्यक्ति जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो तो उसके बारे में तत्काल हल्का प्रभारी व बीपीओ को तथा साथ ही थाना प्रभारी को अविलंब अवगत कराने हेतु बताया गया साथ ही उनसे गांव के अन्य लोगों को भी जागरुक करने हेतु प्रेरित किया गया। गोष्ठी में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर संयुक्त पेट्रोलिंग किये जाने व ग्राम सुरक्षा समिति के क्रियान्वयन व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस दौरान थाना कपिलवस्तु पुलिस/SSB कर्मी मौजूद रहे।

थाना कोतवाली - कपिलवस्तु

सीमा चौकी अलीगढ़वा

प्रेस नोट- दिनांक 17.01.2023 थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर

थाना भवानीगंज पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, राणा महेन्द्र प्रताप सिह क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में गौरव सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 17.01.2023 को भवानीगंज पुलिस द्वारा वाद सं0 442/21 धारा 323,325,427,504,506 भादवि व 3(1) द एससी एसटी एक्ट से सम्बन्धित वारंटी को समीउल्लाह उर्फ सफिउल्लाह पुत्र मोहम्मद वकील को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-

समीउल्लाह उर्फ सफिउल्लाह पुत्र मोहम्मद वकील निवासी भानपुर मस्जिदिया थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. प्रभारी निरीक्षक गौरव सिंह थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
02. हे0का0 रोशन अली थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
03.का0 विनय कुमार यादव थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट- दिनांक 17.01.2023

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से पिता के हत्यारे को उम्रकैद व ₹ 25,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 17-01-2023 को सत्र परीक्षण सं. 56/2017 मु.अ.सं. 244/2017 धारा 302 भा0द0वि0 थाना पथरा बाजार से सम्बन्धित आरोपी मोहम्मद उमर को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया। उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त मोहम्मद उमर पुत्र सरातुल्लाह ग्राम तुरकौलिया तिवारी थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को **उम्रकैद** व **₹ 25,000/-** के अर्थदण्ड से माननीय न्यायाधीश श्री मोहम्मद शफीक अपर सत्र न्यायाधीश बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा दण्डित किया गया। जिसमें सरकार की तरफ से पैरवी ईश्वर चन्द्र दूबे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार थाना पथरा बाजार का सराहनीय योगदान रहा।

<u>**प्रेस नोट दिनांक 17-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर**</u>

ऑपरेशन प्रहार के तहत 01 अपराधी के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत आज दिनांक 17-01-2023 को कूटरचित अपराध आदि में संलिप्त 01 नफर अभियुक्त के विरूद्ध जनपद के थाना खेसरहा पर धारा (3)3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की कार्यवाही की गयी।

निम्नलिखित अभियुक्त के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी-

1-अव्दुल मन्नान पुत्र बुझारत अली (उम्र 47) निवासी बेलवा लगुनही थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 17-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर।

‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत थाना भवानीगंज पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल 14 वाहनों की नीलामी कराकर मय GST कुल 66,080/- रू0 के राजस्व की प्राप्ति।

सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अब तक कुल 551 वाहनों की नीलामी कर 68,80,940/-रू0 राजस्व प्राप्त किया गया

प्रायः थाना परिसर व परिसर के बाहर बेतरतीब तथा बेहिसाब संख्या में दो पहिया व चार पहिया वाहन खड़े रहते हैं। इन वाहनों से थाने की काफी अधिक भूमि व्यर्थ हो जाती है व दैनिक थाना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जिले के सभी थानों के भ्रमण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर में लम्बे समय से काफी संख्या में लावारिस, मालमुकदमाती व एम0वी0 एक्ट में सीजशुदा वाहन खड़े हैं। जो धूप, गर्मी, बरसात की वजह से जंग लगकर धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। जिस कारण से न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ ही राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हो रही है। वाहनों के क्षरण के कारण थाना परिसर में रहने व आने-जाने वालो व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना बनी रहती है। थाना परिसर में लम्बे समय से खड़े वाहनों के सम्बन्ध में समय-समय पर न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये है।

मा0 उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) सं0 2745/2002 सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में थाने में खड़े वाहनों के निस्तारण हेतु अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में थाने पर खड़े माल मुकदमाती व अन्य वाहनों के निस्तारण हेतु जनपद सिद्धार्थनगर में ‘आपरेशन क्लीन’ 14 जुलाई 2022 से प्रारम्भ किया गया। ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत सभी थानों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध लक्ष्य दिया गया। सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है |

दिनांक 17.01.2023 को राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज, कुणाल उप जिला मजिस्ट्रेट डुमरियागंज, बृजेश कुमार आर0आई0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सिद्धार्थनगर की गठित कमेटी द्वारा थाना भवानीगंज में लम्बित माल मुकदमाती, एमवीएक्ट से सम्बन्धित सीज शुदा कुल 14 वाहनों जिसमें 13 दोपहिया वाहन (एम0वी0 एक्ट में सीज –12, लावारिस-01), 01 चार पहिया वाहन मालमुकदमाती की नीलामी थाना भवानीगंज परिसर में विधि सम्मत तरीके से करायी गयी। जिससे कुल नीलामी की धनराशि मय GST कुल 66,080/-रू0 का राजस्व प्राप्त हुआ। जिसको राजकीय कोषागार में जमा कराया जायेगा।

पूर्व में थाना शोहरतगढ़ से 98 वाहन, ढ़ेबरुआ से 94 वाहन, डुमरियागंज से 93 वाहन, थाना इटवा से 72 वाहन, चिल्हिया से 45 वाहन, थाना कपिलवस्तु से 26 वाहन, थान लोटन से 25 वाहन, थाना सिद्धार्थनगर से 24 वाहन, थाना उसका बाजार से 21 वाहन, खेसरहा से 13 वाहन, पथरा बाजार से 11 वाहन, जोगिया उदयपुर से 09 वाहन, मिश्रौलिया से 04 वाहन, शिवनगर डिड़ई से 02 वाहनों की नीलामी करायी जा चुकी है। अब तक कुल 551 वाहनों की नीलामी से कुल 68,80,940/- रु0 राजस्व की प्राप्ति हुई है।

HERO
HONDA
splendor
iSmart
Hero

सिद्धार्थनगर
थाना समाधान दिवस

<u>प्रेस नोट दिनांक 17-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर</u>

जनपद सिद्धार्थनगर में आपराधिक क्रिया-कलापों पर सतत निगरानी हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा 04 अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत आज दिनांक 17-01-2023 को चोरी/नकबजनी/गैगेस्टर एक्ट/गुण्डा एक्ट व एनडीपीएस एक्ट इत्यादि में संलिप्त 04 अभ्यस्त अभियुक्तों के आपराधिक क्रिया-कलापों पर सतत निगरानी के लिए हिस्ट्रीशीट खोली गयी। जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत हिस्ट्रीशीट खोलने, गुण्डा एक्ट में कार्यवाही, गैंग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जिसके अन्तर्गत अभियुक्त अरुण पासवान पुत्र जयराम पासवान निवासी देवभरिया थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध थाना बांसी पर, गुलाम मोहम्मद पुत्र हबीब शेख निवासी मऊ नानकार थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध थाना गोल्हौरा पर, अजय कुमार गौड़ पुत्र जनार्दन गौड़ निवासी वर्डपुर नं07 टोला रमवापुर थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध थाना चिल्हिया व इरफान उर्फ गुडडू पुत्र इल्ताफ अली निवासी नगवा करछुलिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध थाना उसका बाजार पर हिस्ट्रीशीट खोली गई, जिन पर संबंधित थानों द्वारा निरंतर निगरानी रखी जायेगी।

<u>अभियुक्त अरुण पासवान पुत्र जयराम पासवान का आपराधिक इतिहास-</u>

01-मु0अ0सं0 210/2021 धारा 379,411 भादवि0 थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

02-मु0अ0सं0 211/2021 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

03-मु0अ0सं0 212/2021 धारा 379,411भा0द0वि0 थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

04- मु0अ0सं0 213/2021 धारा 41/411/413/420/467/468/471 भादवि0 थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

05- मु0अ0सं0 214/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

<u>अभियुक्त गुलाम मोहम्मद पुत्र हबीब शेख का आपराधिक इतिहास-</u>

01-मु0अ0सं0 71/2021 धारा 41/411/413/379 भादवि0 थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर।

02-मु0अ0सं0 65/2021 धारा 379 भादवि0 थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

03-मु0अ0सं0 141/2021 धारा 379/411 भादवि0 थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

04-मु0अ0सं0 109/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर।

05-मु0अ0सं0 100/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर।

<u>अभियुक्त अजय कुमार गौड़ पुत्र जनार्दन गौड़ का आपराधिक इतिहास-</u>

01-मु0अ0सं0 1257/2017 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

02-मु0अ0सं0 361/2018 धारा 379,411भा0द0वि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

03-मु0अ0सं0 255/2021धारा 8/20(B) एनडीपीएस एक्ट थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

<u>अभियुक्त इरफान उर्फ गुड्डू पुत्र इल्ताफ अली का आपराधिक इतिहास-</u>

01-मु0अ0सं0 207/2019 धारा 379 भा0द0वि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

02-मु0अ0सं0 210/2019 धारा 379 भा0द0वि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर

03-मु0अ0सं0 214/2019 धारा 379 भा0द0वि0 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

04-मु0अ0सं0 70/2019 धारा 379 भा0द0वि0 थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

05-मु0अ0सं0 215/2019 धारा 379 भा0द0वि0 थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर

06-मु0अ0सं0 227/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

07-मु0अ0सं0 792/2015 धारा 41/411/413/414 भादवि0 थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

08-मु0अ0सं0 81/2018 धारा 3/10 गुण्डा अधिनियम थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 18.01.2023 थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

थाना बांसी पुलिस द्वारा गैंगस्टर में वांछित 15,000/- ₹ का 01 इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व देवी गुलाम, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन में अनुज कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 18.01.2023 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 298/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वाछिंत 15,000/- ₹ का इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.पुद्दन उर्फ कुंद्लन पुत्र चौथीहार साकिन तेलियाडीह थाना कोतवाली डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.अनुज कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

02.उ0नि0 पवन कुमार रावत थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

03.हे0का0 जयप्रकाश पासवान थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।